राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 1(35)/ग्रावि/नरेगा/वि.भुगतान/2013 जयपुर दिनांकः 06 SEP 2023

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषय – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मजदूरी के संदाय में विलम्ब के लिए प्रतिकर) नियम–2023 भिजवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 29 में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान निर्धारित अवधि (मस्टरोल समाप्ति दिनांक से 15 दिवस) में नहीं होने की स्थिति में विलम्ब भुगतान के लिए प्रतिकर देने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा विलम्ब से भुगतान पर प्रतिकर के लिए नियम बनाए जाकर प्रकाशित किए जाने के भारत सरकार के निर्देशों की पालना में राजस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी (मजदूरी के संदाय में विलम्ब के लिए प्रतिकर) नियम–2023 का राजपत्र में दिनांक 29.08.2023 को प्रकाशन कर दिया गया है। प्रकाशित नियमों की अधिसूचना की प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5), विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
9. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त जिला परिषद राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, ईजीएस को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम), ईजीएस

Scanned with CamScanner

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 07, मंगलवार, *शाके* 1945-अगस्त 29, 2023 *Bhadra 07, Tuesday , Saka 1945- August 29, 2023*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग

(ग्रुप-3)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 22, 2023

संख्या एफ.1 (35) आरडी/नरेगा/डिले पेमेंट/2013 :-यत: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 32 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित राजस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए प्रतिकर) नियम, 2023 का प्रारूप, अधिसूचना संख्याक एफ.1(35) आरडी/नरेगा/डिले पेमेंट/2013 दिनांक 10 फरवरी, 2023 के द्वारा, उससे संभाव्यत: प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधि सूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जायें, पन्द्रह दिन के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, राजस्थान राजपत्र, असाधारण भाग 6 (ग) दिनांक 15 फरवरी, 2023 में प्रकाशित किया गया था।

और यत:, गजट की प्रतियां, जिनमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी, दिनांक 16.02.2023 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं।

अत:, अब, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त सुझावों पर विचार करने के पश्चात, इसके द्वारा राजस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए प्रतिकर) नियम, 2023 बनाती है, अर्थात्ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मजदूरी के संदाय में विलंब के लिये प्रतिकर) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) "संदाय प्राधिकारी" से मजदूरी रकम के लिए संदाय लिखत निर्मुक्त/जारी करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी अभिप्रेत है और इसमें मजदूरी के निर्धारण, प्रक्रिया और संदाय करने के लिए उत्तरदायी कर्मचारी या अधिकारी सम्मिलित है;

(ग) "नियत कालावधि" से मस्टर रोल के बंद किये जाने से, जिसमें मजदूरी चाहने वाले ने कार्य किया है, पन्द्रह दिवस तक की वह कालावधि अभिप्रेत है;

(घ) "मजदूरी दर" से अधिनियम के उपबंध के अधीन समय-समय पर अधिसूचित दर अभिप्रेत है; और

(ङ) "मजदूरी रकम" से श्रमिक को किसी पखवाड़े में उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए संपादित टास्क के अनुसार संगणित, संदत्त की जाने वाली रकम अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

3. मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए प्रतिकर प्राप्त करने की पात्रता.- यदि मस्टर रोल के बंद होने की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर मजदूरी का संदाय नहीं किया जाता है तो मजदूरी चाहने वाले मस्टर रोल के बंद होने के सोलहवें दिन से विलंब के लिए प्रतिदिन की असंदत्त मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब के लिए प्रतिकर का संदाय प्राप्त करने के पात्र होंगे। संदेय प्रतिकर का विनिश्चय निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय, कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) द्वारा किया जायेगा :-

(क) संदाय प्राधिकारी स्तर पर निधियां उपलब्ध नहीं हैं,

(ख) प्रतिकर देय नहीं है (मजदूरी समय पर संदत्त कर दी गयी है, किन्तु ब्यौरे एमआईएस में प्रविष्ट नहीं किये गये),

(ग) प्राकृतिक आपदाएं, या

(घ) नरेगा सॉफ्ट में तकनीकी कारणों से।

4. मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए प्रतिकर का संदाय.- (1) कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली-नरेगा सॉफ्ट में, मस्टर रोल के बंद होने की तारीख के आधार पर मनरेगा कर्मकारों को संदेय प्रतिकर की और मजदूरी संदाय के लिये पे-आर्डर के जनन की तारीख की संगणना स्वत: करने का उपबंध है। प्रत्येक मामले में संदेय प्रतिकर के बयौरे स्कीम की शासकीय वेबसाइट, अर्थात https://nrega.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(2) प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी (पीओ), उस तारीख से, जिसको विलंब के लिए प्रतिकर शोध्य हो गया है, पन्द्रह दिवस के भीतर विनिश्चय करेगा कि क्या प्रतिकर, जो नरेगा सॉफ्ट द्वारा स्वत: संगणित किया गया है, संदेय है या नहीं। कार्यक्रम अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिकर के दावों का निपटारा उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर किया जाये और ऐसे दावे विनिश्चय के बिना संचित किये जाने हेतु अनुज्ञात नहीं किये जायेंगे। जिला कार्यक्रम समन्वयक इसे नियमित रूप से मानीटर करेगा।

(3) संदेय प्रतिकर, इसे मनरेगा वेबसाइट के माध्यम से अनुमोदन के पश्चात कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। यदि नियम 3 में उल्लिखित कारणों से प्रतिकर संदेय नहीं है तो कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा वेबसाइट पर अननुमोदन के कारण को अभिलिखित करने के पश्चात इसे अननुमोदित करेगा।

(4) यथा पूर्वोक्त प्रतिकर के संदाय के लिए अनुमोदित समस्त मामले, उसी रीति से जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अधीन मजदूरी संदत्त की जाती है, निधि हस्तांतरण आदेश (एफटीओ) अपलोड करने के पश्चात मजदूरी पर्ची जनन के लिए प्रस्तावित किये जायेंगे।

(5) प्रतिकर के संदाय में, उस तारीख से जिसको यह संदेय हो जाता है, पंद्रह दिवस से अधिक के विलंब का कोई मामला उसी रीति से प्रेषित किया जायेगा जिस रीति से मजदूरी के संदाय में विलंब का मामला प्रेषित किया जाता है।

5. प्रतिकर की वसूली.- (1) विलंब के लिए प्रतिकर की रकम विहित समय सीमा के भीतर सम्यक सत्यापन के पश्चात अग्रिम संदत्त की जायेगी और ऐसी रकम मस्टर रोल ट्रैकिंग सिस्टम के अनुसार मजदूरी का संदाय करने में विलंब के लिए उत्तरदायी कृत्यकारियों/ अभिकरणों से वसूल की जायेगी।

(2) ऐसे प्रतिकर की रकम की वसूली अपचारी पदधारी के वेतन, मानदेय, भत्तों इत्यादि में से की जायेगी।

(3) यदि किसी भी मामले में अपचारी अधिकारी/पदधारी/संविदात्मक कार्मिक निवृत्त होता है/स्थानांतरित होता है/त्याग पत्र देता है/सेवा छोड़ देता है या किसी अन्य कारण से उससे प्रतिकर की रकम वसूल नहीं की जा सकती है तब ऐसी वसूली विद्यमान नियमों के अनुसार की जायेगी। पदाभिहित कार्यक्रम अधिकारी ऐसी वसूली करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) पदाभिहित कार्यक्रम अधिकारी इस प्रकार वसूल की गयी रकम को राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार खोले गये खाते में जमा करेगा।

6. अभिलेख का रखरखाव.- (1) मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए प्रतिकर के संदाय से संबंधित अभिलेख का रखरखाव संदाय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) ग्राम पंचायत हिताधिकारी के जॉब-कार्ड में मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए संदत्त प्रतिकर की रकम की प्रविष्टि करेगी।

(3) मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए संदत्त प्रतिकर, विलंब के लिए उत्तरदायी कार्मिक और वसूल की गयी रकम से संबंधित सूचना कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान को नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी, जो उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(4) मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए संदत्त प्रतिकर के ब्यौरे, इस प्रकार तैयार की गयी वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किये जायेंगे।

7. अपील.- इन नियमों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश या की गयी किसी कार्रवाई से व्यथित कोई व्यक्ति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (शिकायत को दूर करना) नियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार अपील कर सकेगा।

8. निरसन और व्यावृत्ति.- इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व समय-समय पर जारी किये गये कोई आदेश या अनुदेश इन नियमों के प्रारंभ पर उस सीमा तक निरसित होंगे, जिस तक उक्त आदेशों या अनुदेशों के उपबंध, इन नियमों के उपबंधों से असंगत हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

बाबू लाल वर्मा,

शासन उप सचिव।

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT
(GROUP-3)
NOTIFICATION

Jaipur, August 22, 2023

No.F.1 (35) RD/NREGA/Delay Payment/2013 .-Whereas the draft of the Rajasthan Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Compensation for Delay in Payment of Wages) Rules, 2023 was published as required under sub-section (1) of section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act No. 42 of 2005) vide notification number F.1 (35) RD/NREGA/Delay Payment/2013 dated February 10, 2023, in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part 6 (ga) dated February 15, 2023, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of fifteen days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public.

And whereas, the copies of the Gazette in which the said notification was published, were made available to the public on dated 16-02-2023.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act No. 42 of 2005), the State Government, after considering the suggestion received on the said draft rules, hereby makes the Rajasthan Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Compensation for Delay in Payment of Wages) Rules, 2023, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Compensation for Delay in Payment of Wages) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act-2005;

(b) "Paying Authority" means the authority authorized to release/ issue payment instrument for wage amount and includes the employee or officer responsible for assessing, processing and making payment of wages;

(c) “Stipulated Period” means the period upto fifteen days from the closure of the Muster Roll on which a wage seeker has worked;

(d) "Wage Rate" means the rate notified under the provision of the Act, from time to time; and

(e) "Wage Amount" means the amount to be paid to the labour calculated as per the task performed for the work done by him/her in a fortnight.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Eligibility to receive compensation for delay in payment of wages.- In case the payment of wages is not made within fifteen days from the date of closure of the muster roll,

the wage seekers shall be entitled to receive payment of compensation for the delay, at the rate of 0.05% of the unpaid wages per day of delay from the sixteenth day of closure of the muster roll. Compensation payable shall be decided by the Programme Officer (PO) except in case of the following circumstances:-

(a) Funds are not available at the paying authority level,

(b) Compensation not due (wages have been paid in time, but details not entered in MIS),

(c) Natural calamities, or

(d) Technical reasons in NREGA Soft.

4. Payment of compensation for delay in payment of wages.- (1) The Programme Management Information System-NREGA Soft has a provision to automatically calculate the compensation payable to the MGNREGA workers based on the date of closure of the muster roll and the date of generation of the pay order for paying wages. The details of compensations payable in each case shall be displayed on the official website of the scheme, i.e. https://nrega.nic.in.

(2) Every Programme Officer (PO) shall, within fifteen days from the date since the compensation for delay has became due, decide whether the compensation that has been automatically calculated by the NREGA Soft is payable or not. The Programme Officers shall ensure that compensation claims are settled with in time specified above and such claims shall not be allowed to be accumulated without decision. The District Programme Coordinator shall monitor it regularly.

(3) Compensation payable shall be decided by the Programme Officer after approving it through MGNREGA website. If compensation is not payable for the reasons mentioned in rule 3, the Programme Officer shall disapprove it after recording reason of disapproval on MGNREGA website.

(4) All cases approved for the payment of compensation as above shall be moved for generation of wage slip followed by uploading of Fund Transfer Order (FTO) in the same manner as the wages are paid under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

(5) Any delay in payment of compensation beyond fifteen days from the date it becomes payable shall be addressed in the same manner as the delay in payment of wages.

5. Recovery of compensation.- (1) The amount of compensation for delay shall be paid upfront after due verification within the time limits prescribed and such amount shall be recovered from the functionaries/agencies responsible for the delay in making payment of wages as per muster roll tracking system.

(2) The recovery of such compensation amount shall be made from the delinquent official out of his/her salary, honorarium, allowances etc..

(3) If in any case the delinquent officer/official/contractual personnel retires/ transferred/resigns/leave the job or due to any other reason compensation amount cannot be recovered then such recovery shall be made as per the prevailing rules. The designated Programme Officer shall be responsible for making such recoveries.

(4) The designated Programme Officer shall deposit the amount so recovered in the account opened as per the directions of the State Government.

6. Maintenance of record.- (1) Record relating to payment of compensation for delay in payment of wages shall be maintained by the paying authority.

(2) The Gram Panchayat shall make an entry of the amount of compensation paid for delay in payment of wages in job card of the beneficiary.

(3) The information regarding the compensation paid for delay in payment of wages, personnel responsible for the delay and the amount recovered shall be sent regularly by the Programme Officer to the District Programme Coordinator, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Rajasthan, who shall forward the same to the State Government.

(4) Details of compensation paid for delay in payment of wage shall be incorporated in the annual report so prepared.

7. Appeal.- Any person aggrieved by any order issued or action taken under these rules may prefer an appeal in accordance with the provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Grievance Redressal) Rules, 2010.

8. Repeal and Saving.- Any order or instructions issued, from time to time, before the commencement of these rules shall stand repealed on commencement of these rules so far as provisions of said orders or instructions are inconsistent to the provisions of these rules.

By order of the Governor,

Babu Lal Verma,
Deputy Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।